एवं खसरा सं० 1244/932 में से 10 गुणा 6.10 बराबर 544 वर्गमीटर छः फीटा रास्ते में जायेगी, का अंकन गलत हो गया जिसे दुरुस्त कर अंकित खा० नं० की निर्गत में हटाया जाकर निर्गत में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन किया गया व पत्रावली आदि को देखा गया। पत्रावली का एवं मूल निर्गत दिनांक 6/6/2018 का अवलोकन करने के उपरान्त आदि का आवेदन स्वीकार योग्य है। अतः इस कार्यालय द्वारा पारित निर्गत दिनांक 6/6/2018 के अतिरिक्त पैरा की कण्डिका में 5वीं एवं आठवीं पंक्ति में तथा आठवीं पंक्ति में अंकित "एवं खा० नं० 1311/932 में से 52 गुणा 6.10 बराबर 317.2 वर्गमीटर एवं खा० नं० 1244 कट्टा 932 में से 10 गुणा 6.10 बराबर 544 वर्गमीटर कुल छः फीटा रास्ते में जायेगी।" पंक्ति निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा। आवेदक पत्रावली में शामिल होकर पुनः दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बोन पु. सीकर